सदस्यों के नामांकन के लिए प्रेस परिषद (सदस्यों के नामांकन की प्रक्रिया) नियम, 1978 में प्रावधान

सदस्यों के नामांकन के लिए प्रेस परिषद (सदस्य के नामांकन की प्रक्रिया), नियम, 1978 के प्रावधान निम्नलिखित हैं:

नियम 3 परिषद की सदस्यता के लिए नामों के पैनलों का आमंत्रण :

उप-नियम (1) प्रथम परिषद की दशा में केन्द्रीय सरकार और किसी पश्चातवर्ती परिषद की दशा में पूर्ववर्ती परिषद का सेवा-निवृत होने वाला अध्यक्ष, धारा 5 की उपधारा (4) के अधीन उस उपधारा में निर्दिष्ट, यथास्थिति संस्थाओं, या संस्थाओं और समाचार एजेंसियों को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा इस निमित्त सूचना भेजकर नामों का पैनल आमंत्रित करेगा, और सूचना में उनसे अपेक्षा की जाएगी कि वे, पैनल में सम्मिलित नामों के संबंध में निम्नविनिर्दिष्ट विशिष्टियां दें-

(i) व्यक्ति का नाम

(ii) प्रवर्ग, जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है ;

(क) सम्पादक;

(ख) सम्पादक से भिन्न, श्रमजीवी पत्रकार;

(ग) किसी समाचार-पत्र का स्वामी या प्रबन्धक; या

(घ) समाचार एजेंसी ;

(iii) उस समाचारपत्र या समाचार एजेंसी का शीर्षक और भाषा जिसमें, यथास्थिति, वह नियोजित है या जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है और कि वह समाचारपत्र बड़ा है या मध्यम या छोटा (पिछले एक वर्ष के सभी संस्करणों के कुल परिचालन से संबंधित आंकड़े) ;

(iv) समाचार पत्र के प्रकाशन का स्थान ;

(v) यदि वह श्रमजीवी पत्रकार है,

(क) क्या वह किसी समाचार-पत्र का स्वामी है या किसी समाचारपत्र के प्रबंध के कारोबार कर रहा है ;

(ख) उसी नियंत्रण या प्रबंध के अधीन उस समाचारपत्र या उन समाचारपत्रों के समूह, यदि कोई हो, का नाम जिससे वह संबंधित है या जिसमें वह हितबद्ध है ;

(vi) अधिमान क्रम ; और

(vii) कोई अन्य सूचना

उप-नियम 2 उप-नियम में नोटिस में वह तारीख होगी जिस पर या जिससे पहले नामों के पैनल प्राप्त होने हैं और ऐसी तारीख किसी भी स्थिति में नोटिस की तारीख से तीस दिनों की समाप्ति की तारीख से पहले की नहीं होगी और उस तारीख के बाद प्राप्त नामों के पैनल पर विचार नहीं किया जाएगा।

उप-नियम 3 नामों के पैनलों पर अधिनियम की धारा 5 की उप-धारा (4) के तहत इस संबंध में अधिसूचित एसोसिएशन या समाचार एजेंसी द्वारा विधिवत रूप से नामित और प्राधिकृत पदाधिकारी द्वारा हस्ताक्षर किए जाएंगे। ऐसे नामित और प्राधिकृत व्यक्ति इसकी सामग्री की सटीकता के लिए सभी तरह से जिम्मेदार होंगे और जहां कहीं भी किसी व्यक्ति का नाम, नामों के पैनल में शामिल है और ऐसे व्यक्ति द्वारा विधिवत सत्यापित किया गया है, जो उप-नियम (1) के खंड (ii) के उप-खंड (क), (ख) या (ग) में वर्णित एक विशेष श्रेणी का प्रतिनिधित्व करता है, तब यह माना जाएगा कि ऐसा व्यक्ति उस श्रेणी के तहत नामांकन के लिए पात्र है। नामों के पैनल पर हस्ताक्षर करने वाला व्यक्ति मजिस्ट्रेट के समक्ष विधिवत् अभिपुष्टि करने पर ऐसा करेगा। *18 जून 1999 की राजपत्र अधिसूचना असाधारण संख्या 304 के जरिये संशोधित।

नियम 4 सदस्यों के नाम निर्देशन के लिए प्रक्रिया : नियम 3 के अधीन, यथास्थिति, संस्थाओं और समाचार एजेंसियों द्वारा सिफ़ारिश किये गये नामों के पैनलों में से, धारा 5 की उपधारा (3) के खंड (क), (ख) और (ग) में निर्दिष्ट सदस्यों का नाम निर्देशन, उस उपधारा के उपबंधों के अधीन रहते हुए, निम्नलिखित प्रक्रिया के अनुसार किया जाएगा, अर्थात -

उप-नियम (1) वह/वे व्यक्ति जो यथास्थिति क्रमश: उन सभी संथाओं या समाचार एजेंसियों द्वारा सिफ़ारिश किए गए हैं , पहले उस उपधारा के खण्ड (क), (ख) या (ग) के अधीन नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे :

परन्तु यदि इस प्रकार सिफ़ारिश किए गए व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक प्रवर्ग में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्यों की अपेक्षित संख्या से अधिक हो तो अपेक्षित संख्या, इस प्रकार सिफ़ारिश किए गए व्यक्तियों में से लॉटरी निकालकर नाम- निर्दिष्ट की जाएगी;

उप-नियम (2) जहां खण्ड (1) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अपनाने के पश्चात धारा 5 की उपधारा (3) के खण्ड (क), खण्ड (ख) या खण्ड (ग) के अधीन नाम निर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्यों की अपेक्षित संख्या नामनिर्दिष्ट न की जा सकी हो, वहां वह व्यक्ति या वे व्यक्ति जो एक से अधिक संस्था या समाचार एजेंसी द्वारा सिफ़ारिश किये गये हैं किन्तु सभी संस्थाओं या समाचार एजेंसियों द्वारा नहीं उन संस्थाओं या समाचार-एजेंसियों के जिन्होंने उनकी सिफ़रिश की थी, संख्या क्रम में शेष सदस्यता के संबंध में नाम निर्दिष्ट किए जाएंगे |

परन्तु यदि इस प्रकार सिफ़ारिश किए गए व्यक्तियों की संख्या, प्रत्येक प्रवर्ग में नामनिर्दिष्ट किए जाने वाले सदस्यों की अपेक्षित संख्या से अधिक हो तो अपेक्षित संख्या इस प्रकार सिफ़ारिश किए गए व्यक्तियों में से लॉटरी निकालकर नाम -निर्दिष्ट की जाएगी|

उप-नियम (3) जहां खण्ड (1) और (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अपनाने के पश्चात धारा (5) की उपधारा 3 के खण्ड (क) या खण्ड (ख) के अधीन नामनिर्दिष्ट की जाने वाले सदस्यों की अपेक्षित संख्या नाम-निर्दिष्ट न की जा सकी हो, वहां, शेष सदस्यों को निम्नलिखित रीति में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा, अर्थात -

(क) वह क्रम जिसमें उन प्रवर्गों के व्यक्तियों की संस्थाओं का, उनकी सिफ़ारिश पर विचार करने के लिए, पुनर्विन्यास किया जाएगा, पहले लॉटरी निकालकर विनिश्चित किया जाएगा ;

(ख) तब सदस्यों की अपेक्षित संख्या उन व्यक्तियों में से नाम-निर्दिष्ट की जाएगी जो, उपखण्ड (क) के अधीन और इन संस्थाओं द्वारा उपदर्शित अधिमान के अनुसार विनिश्चित क्रम में विन्यासित की गई संस्थाओं द्वारा सिफ़ारिश किए गए हैं किन्तु ऐसी प्रत्येक संस्था से एक से अधिक नहीं होगी ; और यदि अपेक्षित संख्या तब भी नामनिर्दिष्ट न की जा सके तो नामनिर्देशन उन व्यक्तियों से किया जाएगा जिन्हें उक्त क्रम में पुनर्विन्यासित संस्थाओं द्वारा अगला अधिमान दिया गया हो और इसी तरह उससे अगला भी जब तक कि सदस्यों की अपेक्षित संख्या नाम-निर्दिष्ट न हो जाए |

उप-नियम 4 जहां खण्ड (1) और (2) में विनिर्दिष्ट प्रक्रिया अपनाने के पश्चात धारा 5 की उपधारा (3) के खण्ड (ग) के अधीन नामनिर्दिष्ट किया जाने वाला सदस्य नामनिर्दिष्ट नहीं किया जा सके वहां पहले, यथास्थिति, समाचार एजेंसियों की संस्था या समाचार एजेंसी चुनने के लिए, जिसकी सिफ़ारिश पर, सदस्य के नाम- निर्देशन के

लिए विचार किया जाना चाहिए , लॉटरी निकली जाएगी और तब उस व्यक्ति को जिसे यथास्थिति, उक्त संस्था या समाचार एजेंसी द्वारा प्रथम अधिमान दिया गया है, सदस्य के रूप में नामनिर्दिष्ट किया जाएगा |

******